

The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 Act 6 of 2003

Keyword(s): Director Urban Planning and Development, Record of Immovable Property

Amendments appended: 15 of 2004, 6 of 2019, 19 of 2019, 4 of 2021, 12 of 2023, 4 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

CHHATTISGARH ACT

(Mo. 6 of 2000)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgach I egislature in the Pifty-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Adhiniyam, 2003 (No. 6 of 2003).

Short Title and Commenograph

- (2) It shall come into force from date of its notification in the official Gazette.
- In sub-section (1) and (2) of Section 19 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) hereinafter called Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

Amendment of Section 19.

3. In Sub-section (1), (2) and (3) of Section 23 of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Orban Planning and Development" shall be substituted.

Amendment of Sec-

4. In sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

Amendment of Section 24.

5. In sub-section (1) of section 417-A of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" shall be omitted and for wrods "Director, Urban Administration" the words "Director, Urban Planning and Development" shall be substituted.

Amendatent of Section 417-A.

CHHATTISGARH ACT

/No 15 of 2004)

THE CHHATTISGARII MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2004

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fifth year of Republic of India as follows:-

Short Tide and Commencement.

- (i) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2004
 - (2) It shall come into force from the date of its notification in the official Gazette.

Insertion of Definition.

- 2. After Sub-section (10) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) hereinafter referred to as Principal Act, following new sub-section (10-a) shall be inserted, namely
 - (10-a) "Collector" means the District Collector appointed by the State Government under Section 16 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959.

After sub-section (52) of Section 5 of the Principal Act, following new sub-section (52-A) Shall be inserted, namely

"(52-a) "Recognised Political Party" means a political party for the time being recognized by the Election Commission of India as National Party or as a State Party in the State of Chhattisgarh under the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968,"

Amendment of Section 14-C.

3. In clause (b) of Section 14-C of the Principal Act, for words "member of the Corporation" the words "Mayor or Councillor" shall be substituted and for the words "for a period of five years" the words "for a period not exceeding five years" shall be substituted.

Insertion & Section 14-0.

4. After Section 14-C of the Principal Act, following Section 14-D shall be inserted, namely :-

"Section [4-D-Removal or reduction of period of disqualification.

The State Election Commission, on making an application within thirty days from the date of publication of the order, passed under clause (b) of Section 14-C, in the official Gazette may for reasons to be recorded in writing remove any disqualification or reduce the period of any such disqualification."

Insertion of para (n) in Section 17 (1).

5. After para (m) of sub-section (1) of Section 17 of the Principal Act, the following para (n) shall be inserted, namely:

"(n) has been disqualified under Section 14-C."

Insection of New Section 17-9.

 After Section 17-2, of the Principal Act, the following new Section 17-B shall be inserted, namely:-

"Section 17-B.

Dails or affirmation
by the Mayor and
the Councillor"

Every Mayor and every Councillor shall before taking part in the election of Speaker in the first meeting of the Corporation or before emering upon his office, as the case may be, shall make and subscribe in the presence of the Collector an oath or affirmation in the following form:

Lauran and Mayarich et door acillon accinoled

(2) If the Mayor or Councillor does not take an oath under sub-section (1), it shall be deemed that such Mayor or Councillor as the case may be, has not assumed his office:

provided that except with permission of the Director if any Mayor or Councillor, as the case may be, does not take an oath within 30 days from the date of his election or nomination, as the case may be, his scat shall be deemed to have fallen vacant ipso facto.

7. After Section 18 of the Principal Act, following new section 18-A shall be inserted, namely:-

Insertion of Section 18-A.

"Section 18-A Powers and functions of the Speaker."

- (1) Subject to the provisions of the Act, the Speaker shall have the following powers and functions:-
 - to preside over the meetings of the Corporation and send the copy of proceedings to the commissioner within seven days from the date of meeting;
 - (ii) to fix the date of the meeting of the Corporation with the consent of the Mayor and arrange to send the notice thereof along with the Agenda as approved by the Mayor, and
 - (iii) to have administrative control over the officers and servants of his office including the Corporation Secretary.
- (2) The Speaker shall have power to call the execution report from the Commissioner, on the decisions taken in the meeting of the Corporation, and may take steps to include in the agenda of the next meeting of the Corporation such matter in which execution has been delayed beyond three months."
- 8. In sub-section (2) of Section 25 of the Principal Act, following words shall be substituted:-

Amendment of Section 25.

For the words "the Speaker" the words "such member of the Mayor-in-Council, as may be appointed by the Mayor" shall be substituted.

9. After Section 25 of the Principal Act, following new Section 25-A shall be inserted, namely :-

Insertion of Section 25-A.

"Section 25-A Subject to provisions of the Act, every Councillor shall have the Dutles of the following duties:Councillors."

- (i) to be present and take part in the meetings of the Corporation and on requirement cast vote.
- (ii) to draw the attention of the Mayor or Commissioner towards any loss to the Corporation property or any short comings in any scheme or service or any work being executed by the corporation.
- 40. In Section 30 of the Principal Act, after the word "special meeting" the words "to discuss any emergent and burning issues of the down" shall be inserted.

Amendment of Section 36.

After proviso following shall be inserted.

ኢ

ake or itie

bated

"Provided further that such special meeting shall not be more than three in a year."

Amendment Section-37.

- 11. Sub-section (2) of Section 37 of the Principal Act, shall be substituted by the following :-
 - (?) "The Mayor-in-Council shall consist of the Mayor and twenty percent of the total number of elected Councillors. At the time of calculation of eventy percent number fraction less than half shall be ignored and fraction equal to half or more shall be counted as one.

provided that all the members shall be nominated by the Mayor from amongst the elected Councillors of the Corporation and out of which at least one member from Scheduled Caste or Scheduled Tribes, one member from Other Backward Classes and one member from women category shall be nominated."

Amendment Section 73. 12 Section 73 of the Principal Act, shall be substituted by the following:-

"Section, 73- ([) Contracts by or on behalf of the Corporation."

- Contracts by or on behalf of the Corporation shall be expressed to be made by the Commissioner in accordance with the following provisions:-
 - (a) every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner.
 - (b) no such contract for any purpose which, in accordance with any provision of this Act, the Commissioner may not carryout without the approval or sanction of some other municipal authority, shall be made by him until or unless such approval or sanction has been duly obtained.
 - (c) the Mayor-in-Council and the Commissioner may sauction any estimate or contract (including technical and administrative) involving such amount, as may be prescribed.
 - (d) all other estimates or contracts shall be sanctioned by the Corporation.
- (2) The manner and procedure for giving contract, shall be such as may be prescribed.
- (3) The Corporation, in order to take assistance in technical or other matters, may engage the services of a qualified consultant and the procedure for the appointment of such consultant shall be subject to rules made in this behalf.
- (4) The Corporation can take assistance of a company, firm, society, trust or any other agency or any Government agency that is established under any existing rules, to execute any type of project relating to urban infrastructure related with facilities. The Corporation, can also execute works with the help of such private agency.
- (5) Private sector participation agreements shall be such as may be prescribed and shall include the following:-
 - (a) Build-Own-Operate-Transfer Agreement,
 - (b) Build-Own-Operate-Maintain Agreement,
 - (c) Build and Transfer Agreement,
 - (d) Build-Lease-Transfer Agreement,
 - (e) Build-Operate-Transfer Agreement,
 - (f) Lease and Management Agreement,
 - (g) Management Agreement
 - (h) Rehabilitate-Operate-Transfer Agreement,

- (i) Rehabilitate-Own-Operate-Maintain Agreement,
- (j) Service Contract Agreement, and
- (k) Supply-Operate-Transfer Agreement,"

Provided that all the above agreements for Private Participation shall be executed by the Corporation in such manner as may be prescribed by the State Government.

13. After section 82 of the Principal Act, following new Section shall be inserted, namely :-

Insertion of New Section 82-A

"Section 82-A

No property of the Corporation such as school, tank, play ground or park meant for public use shall not be allowed to be used for any other purpose on a permanent basis."

14. In Section 83 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:

Amendment in Section 83

"Section 83-Record (1)
of immovable
property.

- The Corporation shall maintain a register and map of all immovable property of which it is the proprietor or which vests in it otherwise or which it holds in trust for the Government.
- (2) the Commissioner, after having demarcated every land, Building establishment and plant etc. in the ownership of the Corporation, shall arrange to affix there in the boards showing that the said property is in the ownership of the corporation.
- (3) Each year the Commissioner shall, in the budget meeting of the Corporation, publish the details of all immovable property of the Corporation and send its copy along with the agenda to the members.
- (4) The Commissioner shall, from time to time, inspect the property of the Corporation and take action to remove the encroachment if any."
- 15. After Section 83 of the Principal Act, following new Section shall be inserted, namely :-

Insertion o Section-83-a.

"Section 63-A-Custody and destruction of the record. The State Government may prescribe the manner in which the record of the Corporation shall be maintained and kept in custody and also the manner and the procedure subject to which record shall be destroyed."

16. Sub-section (5) of Section 131-A of the Act, shall be substituted by the following:-

Amendment in Section-131-A.

"Section 131-A (5) The Municipal Accounts Commince shall consider the report of the auditor, appointed under Section 129, in respect of accounts of the Corporation and submit the same to the Corporation along with its views."

Sub-Section (6) of Section 131-A of the Principal Act, shall be Omitted.

Omissison of sub-Section (6) of Section 131-A.

18. After Section 133-A of the Principal Act, following new Section 133-B shall be inserted, namely:-

lasertion of Section 133-8.

"Section 133-0-Power of the state Government to require Corporation to impose texes Whenever it appears to the State Government that the balance of Municipal Fund of any Corporation or its revenue is insufficient for the discharge of its duties or obligatory functions imposed upon it under the Act or for meeting the expenditure to be incurred under Section 418 or for the performance of any duties in respect of which it shall have been declared under Section 419 to have committed default, the State Government after giving a notice of lifteen days to the Corporation and

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक ७ मई २०१९ — वैशाख १७, शक १९४१

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 मई 2019

क्रमांक 4706/डी. 93/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्धारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 6 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.
- धारा ९ का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा ९ की उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि यदि नगर पालिक निगम के आम चुनाव में, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुना जाता हो, तो राज्य शासन, ऐसी नगर पालिक निगम में, जैसा भी समुचित हो, एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दिव्यांग सदस्य, इस खण्ड के अधीन मनोनीत सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त होगा.

स्पष्टीकरण: इस परंतुक के प्रयोजन के लिये दिव्यांग व्यक्ति से अभिप्राय होगा, किसी शासकीय चिकित्सक द्वारा सम्यक् रूप से यथा प्रमाणित व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की अनुसूची में सम्मिलित एक या अनेक दिव्यांगता हो, सिवाय सरल क्रमांक 2 (बौद्धिक दिव्यांगता) और 3 (मानसिक व्यवहार) में उल्लिखित दिव्यांगता के:"

अटल नगर, दिनांक 7 मई 2019

क्रमांक 4706/डी. 93/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-5-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2019)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation Short title, extent (Amendment) Act, 2019.

and commencement.

- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in clause (c), after first proviso, the following shall be inserted, namely:-

Amendment to

"Provided further that if in the general election to the Municipal Corporation, no person with disability has been elected, then the State Government shall nominate to such Municipal Corporation, as the case may warrant, a person with disability, and the members with disability so nominated shall be in addition to the general members nominated under this clause.

Explanation: Person with disability for the purpose of this proviso shall mean a person, as duly certified by a Government doctor, to have one or more of the disabilities included in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) except for disabilities mentioned therein against serial numbers 2 (Intellectual disability) and 3 (Mental Behaviour):"

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 837]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 21, श्रक 1941

विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक 12792 / डी. 227 / 21—अ / प्रारू. / छ.ग. / 19.~ छ्त्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 10—12—2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदृद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 19 सन् 2019) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सत्तरहवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- (1) यह छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, संि
 2019 कहलाएगा।
 - संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
 - (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शाँसन, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 5 में, खण्ड (34-क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

धारा 5 का संशोधन.

- "(34-क) "महापौर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो नगरपालिक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ हो और तत्पश्चात् जो नगरपालिक निगम के निर्वाचित पार्षदों द्वारा महापौर के रुप में निर्वाचित हुआ हो;
- (34—ख) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम का प्रादेशिक क्षेत्र जो राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 की उप—धारा (2) के अधीन अधिसूचित किया गया है;"
- 3. मूल अधिनियम में, धारा 9 में,-

धारा 9 का संशोधन.

- (एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर,

निन्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात्:–

"(क) महापौर;"

- (दो) उप—धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--
 - "(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्रं का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकरिमक रिक्ति समझा जायेगा:

परन्तु महापौर, अध्यक्ष, किन्हीं विभागीय समितियों या अन्य समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।"

मूल अधिनियम में, धारा 11-क में, उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

4.

"(4—क) ऐसी नगरपालिक निगमों में जहां, इस धारा के अनुसार, महापौर का पद, किसी विशेष प्रवर्ग के जम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्वाचित पार्षद, जो महापौर पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, महापौर के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह बार्ड, जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो या नहीं।"

धारा 11–क का संशोधन 5. मूल अधिनियम में, धारा 12 में, खण्ड (सी) के पृश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

धारा 12 का संशोधन.

"(डी) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रिजस्ट्रीकृत नहीं है; स्पष्टीकरण—1: इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है:

स्पष्टीकरण—2: इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (18—क) में उसके लिये समनुदेशित है।"

6. मूल अधिनियम में, धारा 14 में,-

(एक) उप—धारा (1) में, शब्द "तथा महापौर" का लोप किया जाये: धारा 14 का संशोधन.

- (दो) उप—धारा (2) में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाये।
- 7. मूल अधिनियम में, धारा 14—क में, उप—धारा (1) में, शब्द ''महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''पार्षद'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14—क का संशोधन.

मूल अधिनियम में, धारा 14—ख में, शब्द "महापौर" केस्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14—ख का संशोधन 9. मूल अधिनियम में, धारा 14-य में, खण्ड (ख) में, शब्द "याँ महापौर" का लोप किया जाये।

धारा 14—ग का संशोधन.

मूल अधिनियम में, धारा 15 में,—
 (एक) शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

धारा 15 का संशोधन

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित, प्रितृस्थापित किया, जाये, अर्थात् :-

> "परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"

भूल अधिनियम में, धारा 16 में,—
 (एक) उप—धारा (1) के खण्ड (क) का लोप किया जाये;
 (दो) उप—धारा (4) का लोप किया जाए।

धारा 16 का संशोधन

12. मूल अधिनियम में, धारा 17 में,— (एक) शीर्षक में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;

धारा 17 का संशोधन.

- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द "या महापौर" का लोप किया जाये;
- (तीन) उप–धारा (1) में, खण्ड (ख ख) में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाये;
- (चार) उप—धारा (1) में, खण्ड (ड.) में, शब्द "महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और" का लोप किया जाये;
- (पांच) उप—धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द ''या महापौर'' का लोप किया जाये:
- (छः) उप—धारा (3) में, शब्द ''या महापौर'' जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।

13. मूल अधिनियम में, धारा 17—ख में,—
(एक) उप—धारा (1) में, शब्द ''प्रत्येक महापौर तथा''
लोप किया जाये:

धारा 17—ख का संशोधन.

- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये; और
- (तीन) उप-धारा (2) में, शब्द "महापौर या" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये।३
- 14. मूल अधिनियम में, धारा 18 में,--
 - (एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये;
 - (दो) उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :--
 - "(1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना के पन्द्रह दिवस के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलिन बुलाएगाः

परंतु यह कि यदि किसी भी कारण से महापौर तथा / या अध्यक्ष का चुनाव एक ही बैठक में पंद्रह दिनों के भीतर पूर्ण नहीं हो सका हो, तो यह दो या अधिक बैठकों में पूर्ण किया जा सकेगा, किन्तु संपूर्ण प्रकिया धारा 22 के अधीन चुनाव की अधिसूचना के तीस दिनों की कालावधि के भीतर पूर्ण करना होगा।" धारा 18 का संशोधन. (तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--

"(3) उप—धारा (1) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जायेगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी । अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।"

(चार) उप—धारा (4) में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अंतःस्थापित किया जाये।

15. मूल अधिनियम में, धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 20 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम में, धारा 23-क में,-

(एक) शीर्षक में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर या '' अन्तःस्थापित किया जाये

- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द ''महापौर या'' अन्तःस्थापित किया जाये; और
- (तीन) उप-धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के स्थान पर, शब्द "महापौर, अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

घारा 23-क का संशोधन

17. मूल अधिनियम में, धारा 24 का लोप किया जाये ।	धारा 24 का संशोधन.
18. मूल अधिनियम में, धारा 422 में, उप—धारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द ''अध्यक्ष' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा''	धारा 422 का संशोधन.
अंतःस्थापित किया जाये।	धारा ४४१ की
19. मूल अधिनियम में, धारा 441 में, उप—धारा (2) में, खण्ड (आ) में, उप—खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित	संशोधन.
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-	
"(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी	
निर्वाचित पार्षद द्वारा।"	
20. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश,	निरसन.
• 2019 (क. 2 सन् 2019) एतद्द्वारा निरसित किया जाता	
है ।	v 18 m
The second secon	

अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक 12792/डी. 227/21—अ/प्रारू./छ.ग./19.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिनियम दिनांक 12—12—2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 19 of 2019)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2019.
- Short title, extent and commencement.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
- 2. In the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 5, for clause (34-a), the following shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 5.

- "(34-a) "mayor" means such person who should be an elected Councilor from some ward in the Municipal area, and who is elected thereafter as Mayor by the elected Councilors of the Municipal Corporation;"
- (34-b)"municipal area" means the territorial area of a municipal corporation as is notified by the Governor

under sub-section (2) of Section 7 of this Act;"

- 3. In the Principal Act, in Section 9,-
 - (i) In sub-section (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) a Mayor;"

- (ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-
 - "(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Mayor, Speaker any departmental Committees or any of the Committee shall not be stayed, pending the election of such seat."

- 4. In the Principal Act, in Section 11-A, after sub-section (4), the following shall be added, namely:-
 - "(4-a) In the case of Municipal
 Corporations where, in
 terms of this Section, the
 office of the Mayor is
 reserved for candidate from

Amendment of Section 9.

Amendment of Section 11-A.

a specific category, any elected councilor belonging to such category for which the office of the Mayor is reserved, may become a candidate for the office of Mayor, irrespective of whether the ward he was elected from was reserved for such category or not."

- 5. In the Principal Act, in Section 12, after clause (c), the following shall be added, namely:-
 - "(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipality;

Explanation-1: For the purpose of this section 'Panchayat' shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of Section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994):

Explanation-2: For the purpose of this section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (18-a) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961)."

Amendment of Section 12.

6.	In the Principal Act, in Section 14,— (i) in sub-section (1), the words "and Mayors" shall be omitted; (ii) in sub-section (2), the words "and Mayors" shall be omitted.	Amendment of Section 14.
7.	In the Principal Act, in Section 14-A, in sub-section (1), for the word "Mayor", the word "Councilor" shall be substituted.	Amendment of Section 14-A.
8.	In the Principal Act, in Section 14-B, for the word "Mayor", the word "Councilor" shall be substituted.	Amendment of Section 14-B.
9.	In the Principal Act, in Section 14-C, in clause (b), the words "or a Mayor" shall be omitted.	Amendment of Section 14-C.
10.	In the Principal Act, in Section 15,—(i) the words "or Mayor" shall be omitted;(ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-	Amendment of Section 15.
	"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilors."	
11.	shall vote more than once in	Amendment of Section 16.

- (ii) in sub-section (1), the words "or Mayor" shall be omitted;
- (iii) in sub-section (1), in clause (bb), the words "or Mayor" shall be omitted;
- (iv) in sub-section (1), in clause (e), the words "is less than twentyfive years of age in the case of a Mayor and" shall be omitted.
 - (v) in sub-section (2), in marginal heading and body, the words "or Mayor", shall be omitted.
 - (vi) in sub-section (3), the words "or Mayor" wherever they occur shall be omitted.
- 13. In the Principal Act, in Sections 17-B,—
 - (i) in sub-section (1), the words"Every Mayor and" shall be omitted;
 - (ii) in sub-section (1), before the word, "Speaker", the words "Mayor and" shall be inserted; and
 - (iii) In sub-section (2), the words "Mayor or" wherever they occur, shall be omitted.
- 14. In the Principal Act, in Section 18,—
 - (i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be inserted;
 - (ii) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: —

Amendment of Section 17-B.

Amendment of Section 18.

"(1) The State Election
Commission shall, within
fifteen days of the notification
of election under Section 22,
call a meeting of the elected
Councilors for the purpose of
electing a Speaker and
Mayor:

Provided that if for any reason the election of the Mayor and/or the Speaker cannot be completed in a single meeting within fifteen days, the same may be completed in two or more meetings but the entire process must be completed within a period of thirty days of the notification of election under Section 22."

- (iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) Meeting under sub-section

 (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorized by the State Election Commission.

 The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of

votes the result shall be decided by lot."

- (iv) in sub-section (4), before the word 'Speaker', the words 'Mayor and' shall be inserted.
- 15. In the Principal Act, in Section 20, in the Explanation, before the words "the Speaker", the words "the Mayor and "shall be inserted.

Amendment of Section 20.

In the Principal Act, in Section 23-A,-(i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor or" shall be inserted;

Amendment of 23-A.

- (ii) in sub-section (1), before the word "Speaker" wherever it occurs, the words "Mayor or" shall be inserted; and
- (iii) in sub-section (2), in clause (ii), for the word "Mayor", the words "Mayor, Speaker", shall be substituted.
- 17. In the Principal Act, Section 24 shall be omitted.

Amendment of Section 24.

18. In the Principal Act, in Section 422, in sub-section (1), in clause (b), before the word 'Speaker', the words "Mayor and" shall be inserted.

Amendment of Section 422.

19. In the Principal Act, in Section 441, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 441.

"(iii) in the case of election of Mayor, by any elected Councilor."

20. The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 2 of 2019) is hereby repealed.

Repeal.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

रायपुर, श्रनिवार, दिनांक 6 मार्च 2021 — फाल्गुन 15, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

क्रमांक 3503/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्झारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 4 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.
- धारा 133-क का 2. मूल अधिनियम की धारा 133-क में,-संशोधन.
 - (क) उप-धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":"प्रतिस्थापित किया जाये; और
 - (ख) उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :-

"परन्तु यह कि राज्य शासन, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, कुछ या सभी स्थावर संपत्ति के अंतरण को, आंशिक या पूरी तरह से, अस्थाई या स्थाई रूप से, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट प्रावधान में छूट दे सकेगा."

- धारा 293 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 293 की उप-धारा (1) की खण्ड (iv) के उप-खण्ड (आ) में,-
 - (क) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष"प्रतिस्थापित किया जाये; और
 - (ख) शब्द "से एक वर्ष की समाप्ति" का लोप किया जाये.
- धारा 300 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम में,-
 - (क) धारा 300 के शीर्षक तथा अंतर्वस्तु में, शब्द "एक वर्ष" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "वो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये; और
 - (ख) धारा 300 में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर, शब्द "चार वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 308-क का 5. मूल अधिनियम की धारा 308-क की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-संशोधन.
 - "(3) इस धारा में इसके विपरीत किसी बात के रहते हुए भी, राज्य शासन, मंत्रिपरिषद् की सहमित प्राप्त करने के पश्चात् व्यापक जनहित में, ऐसे कारणों से, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा, निगम की अनुशंसा पर, किसी विशेष प्रकरण में, आंशिक या पूर्ण रूप से, इस धारा के अधीन अपराधों के शमन पर देय शुल्क में छूट प्रदान कर सकेगा :
 - स्पष्टीकरण-1 : इस धारा के प्रयोजन के लिये, शब्द 'व्यापक जनहित में' का आश्रय केवल निम्नलिखित तक सीमित होगा:-

- (क) ऐसे विद्यापीठ और संस्थायें, जो विगत कम से कम पांच वर्षों से शिक्षा, जिसमें वंचित व्यक्तियों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है, के क्षेत्र में सक्रिय हो, तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/या केन्द्रीय या राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो;
- (ख) ऐसे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, जो केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तथा मूल रूप से गरीबों और वंचित लोगों को धर्मार्थ सेवा प्रवान करती हो;
- (ग) धार्मिक और सेवाभावी संस्थायें, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हों, परंतु इस धारा के अंतर्गत
 उनका अपराध ऐसे भवनों के निर्माण से संबंधित हो, जो आवासीय या व्यावसायिक न हो;
- (घ) ऐसी संस्थायें, जो केन्द्रीय तथा/ या राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त हो, तथा जो विगत कम से कम पांच या इससे अधिक वर्षों से सक्रिय हो, जो अनाथाश्रम, शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों, परित्यक्त महिलायें या वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करती हो.
- स्पष्टीकरण-2: उपरोक्त प्रावधान, ऐसे किसी प्रकरण पर भी लागू हो सकेगा, जो इस प्रावधान के प्रभावशील होने की तिथि में लंबित हो."

अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2021

क्रमांक 3503/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 6-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 4 of 2021)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In Section 133-A of the Principal Act,-

Amendment of Section 133-A.

- (a) In sub-section (1), for the punctuation full-stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and
- (b) After sub-section (1), the following shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may, from time to time, by Notification in the Official Gazette, exempt the transfer of some or all immovable properties, partly or fully, temporarily or permanently, from the provision contained in this sub-section, subject to such conditions as it may specify in the Notification."

3. In sub-clause (b) of Clause (iv) of sub-section (1) of Section 293 of the Principal Act, -

Amendment of Section 293.

- (a) For the words "one year", the words "two years" shall be substituted; and
- (b) For the words "the expiry of" shall be omitted.
- 4. In the Principal Act,-

Amendment of Section 300.

- (i) In the title and content of Section 300, for the words "one year", wherever they occur, the words "two years" shall be substituted; and
- (ii) In Section 300, for the words "two years", the words "four years" shall be substituted.
- 5. After sub-section (2) of Section 308-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

Amendment of Section 308-A.

"(3) Notwithstanding any thing to the contrary contained in this Section, the State Government may, after obtaining approval of the Council of Ministers, in larger public interest, for reasons to be recorded in writing, on the recommendation of the Corporation, exempt, in part or whole, the fees for compounding of offences under this Section, in any particular case:

- Explanation -1: For the purpose of this Section, the term 'Larger public interest' is restricted to the following:-
 - (a) Institutes or organizations active in the field of education including training for skills-development for promotion of livelihood of the underprivileged, for at least five preceding years, and which receive grants from the University Grants Commission and/or the Central or State Government(s);
 - (b) Hospitals and healthcare centres which are recognized by the Central or State Government, and primarily render charitable services to the poor and underprivileged;
 - (c) Religious and charitable organizations active in the field of social service, provided their offences under this Section relate to construction of buildings other than residential or commercial;
 - (d) Institutions, duly recognized by the Central and/or State Government(s), that run orphanages, facilities for physically or mentally challenged persons, destitute homes for women or senior citizens, and have been active for a period of preceding five years or more.
- Explanation -2: The above provision shall also apply in any of such cases as may be pending on the date this provision comes into force."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छन्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मई 2023 — ज्येष्ठ 10, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6948/डी. 56/21—अ/प्रारु./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 15—05—2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) तथा प्रारंभ. अधिनियम, 2023 कहलायेगा।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- धारा 292—ख 2. का संशोधन.

(1)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) की धारा 292—ख की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— "(क) नगरपालिक निगम क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लिए, पृथक रूप से, विकसित भू—खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, ऐसी संख्या में तथा ऐसे आकार में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये, आरक्षित रखना होगाः

परंतु यह कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू—खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्टों की कुल संख्या,

कालोनी में विकसित भू—खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्टों की कुल संख्या का 9% से कम नहीं होगा तथा निम्न आय वर्ग के लिए यह 6% से कम नहीं होगाः

परंतु यह और कि राज्य शासन, नियमों द्वारा यह प्रावधानित कर सकेगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु कालोनी निर्माता (कालोनाईज़र), विकसित भू—खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, कालोनी से मिन्न अन्यत्र किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा सकेगा, जो स्थान, इस संबंध में विहित शर्तों के अनुसार मान्य हो।"

- (2) उप—धारा (1) के खण्ड (ग) में, शब्द एवं अंक ''धारा 128—ग'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''धारा 128—क'' प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (3) उप-धारा (2) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6948/डी. 56/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 31-05-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 12 of 2023)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1.

2.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment in Section 292-B.

- (1) For clause (a) of sub-section (1) of Section 292-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) In every residential colony in the municipal area, the colonizer will have to reserve developed plots and/or constructed houses/flats, separately for the economically weaker sections

and for the lower income groups, in such number, and of such size, as may be prescribed by the State Government:

Provided that the total number of the developed plots and/or constructed houses/ flats, to be reserved for the economically weaker sections shall not be less than 9% of the total number of developed plots and/or constructed houses/flats in the colony, and for low income group it shall not be less than 6%:

Provided further that the State Government may, through rules, provide that for economically weaker the sections, the colonizer may developed provide plots and/or houses / flats at a place other than in the colony, which place must conditions satisfy the prescribed in this regard."

- (2) In clause (c) of sub-section (1), for the words and figure "Section 128-C", the words and figure "Section 128-A" shall be substituted.
 - (3) Sub-section (2) shall be omitted.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025 — पौष 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 621/डी. 06/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16—01—2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 4 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 5 का संशोधन.

- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 में.—
 - "(एक) खण्ड (34-क) का लोप किया जाये।
 - (दो) खण्ड (43—क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोडा जाये, अर्थात :-

"परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है ऐसी जनसंख्या के आंकड़े, जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो।"

धारा 9 का संशोधन.

- 3. मूल अधिनियम की धारा 9 में,-
 - (एक) उप—धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये.

अर्थात:-

जायेगा :

- ''(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;''
- (दो) उप—धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—
 "(4) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र, महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है या कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है या कोई यार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समिति में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियाँ, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।"

नहीं जाता. उसे आकरिमक रिक्ति समझा

- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के स्थान धार पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, स अर्थात्:-
 - धारा 11 का संशोधन.

"(2) ऐसे नगरपालिक निगमों में, जहाँ अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान, अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डी के लिए ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे:

परंतु, यह कि उप—धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक है, तो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो, कलेक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।"

धारा 11—क का 5. संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 11-क में,-

- (एक) उप—धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थातः—
 - "(2) राज्य के महापौर के पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित होने पर यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की

अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, शेष रथान, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगेः

परन्तु उप—धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा / अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा।"

- (दो) उप-धारा (4-क) का लोप किया जाये ।
- मूल अधिनियम की धारा 12 में,—
 (एक) खंड (ए) का लोप किया जाये ।
 - (दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात:—
 - "(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, तो वह निगम के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलत करेगा।"

धारा 12 का संशोधन. धारा 14 का संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (1) एवं (2)
 में, शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर"
 क्रमशः अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 14—क का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 14—क की उप—धारा (1) में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "महापौर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14—ख का संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 14—ख में, शब्द "पार्षद" के स्थान पर, शब्द "महापौर" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14—ग का संशोधन 10.

मूल अधिनियम की धारा 14-ग के खण्ड (ख) में, शब्द "पार्षद" के पश्चात्, शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 15 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

- (एक) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये:
- (दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः :-

"परन्तु कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"

धारा 16 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

- (एक) उप—धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
 - "(क) यदि वह आयु में 25 वर्ष से कम नहीं है, तो महापौर के निर्वाचन हेतु; और"
- (दो) उप—धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप—धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:—

- "(4) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।"
- 13. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

धारा 17 का संशोधन

- (एक) शीर्षक में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये:
- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जायेः
- (तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (ख ख) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;
- (चार) उप—धारा (1) के खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:—
 - "(ड.) महापौर की दशा में, पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में, इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो"
- (पांच) उप—धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये:
 - (छः) उप—धारा (३) में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या महापौर', अन्तःस्थापित किया जाये।
- 14. मूल अधिनियम की धारा 17—ख में,— (एक) उप—धारा (1) में, शब्द "प्रत्येक पार्षद" के पूर्व,

धारा 17—ख का संशोधन. शब्द ''प्रत्येक महापौर तथा'' अन्तःस्थापित किया जाये;

- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये;
- (तीन) उप—धारा (2) में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व, शब्द ''महापौर या'' अन्तःस्थापित की जाये।

धारा 18 का 15. संशोधन.

- मूल अधिनियम की धारा 18 में,-
 - (एक) शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" का लोप किया जाये;
 - (दो) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–
 - "(1) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।"
 - (तीन) उप—धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
 - "(3)उप—धारा (1) के अधीन सम्मिलन, कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।"
 - (चार) उप—धारा (4) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 में, — (एक) उप—धारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द "अध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "महापौर तथा" का लोप किया जाये। (दो) उप—धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप—धारा जोडी जाए, अर्थात :— धारा 20 का संशोधन.

"(5) यदि उप—धारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, नगरपालिक निगम पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 423 के उपबंध, छः मास से अनिधक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिक निगम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।"

17. मूल अधिनियम की धारा 23-क में,-

धारा 23—क का संशोधन

- (एक) शीर्षक में, शब्द "महापौर या" "का लोप किया जाये;
- (दो) उप—धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व शब्द "महापौर या" का लोप किया जाये;
- (तीन) उप–धारा (2) के खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के पश्चात, चिन्ह एवं शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाये ।
- 18. मूल अधिनियम की धारा 23—क के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात्ः—

धारा 24 का संशोधन.

"24. महापौर का वापस बुलाया जाना.— (1) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि उसे ऐसी प्रकिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परंतु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रकिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाएः

परंतु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रियाः

- (एक) उस तारीख से, जब ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालाविध के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;
- (दो) किसी उप—चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगीः

परंतु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रकिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी।

(2) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

- (3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा।"
- 19. मूल अधिनियम की धारा 422 की उप—धारा (1) के खण्ड धारा 422 का संशोधन.
 (ख) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा''
 जहाँ कहीं आया हो, का लोप किया जाये।
- 20. मूल अधिनियम की धारा 441 की उप–धारा (2) के खण्ड धारा 441 का संशोधन. (आ) के उप–खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— "(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा।"
- 21 छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 निरसन (क. 2 सन् 2024) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क. 5 सन् 2024) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 621 / डी. 06 / 21—31 / प्रारू. / छ.ग. / 25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No.4 of 2025)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act to further amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024.
 - (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2.

In Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act),-

- (i) Clause (34-a) shall be omitted.
- (ii) After clause (43-a), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that, population of Other Backward Class means, such figures of population, which have been determined in the prescribed manner." **3.** In Section 9 of the Principal Act,–

- (i) For clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) a Mayor that is

 Chairperson elected by

 direct election from the

 Municipal Area;"
- (ii) For sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(4) If any municipal area fails to elect a Mayor or any ward fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Speaker or any of the Committee under the Act, shall not be stayed, pending the election of such seat."

4. For sub-section (2) of Section 11 of the Principal Act, the

Amendment of Section 9.

Amendment of Section 11.

following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) In such Municipal Corporations where less than fifty percent seats are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes, then as nearly as possible remained seats shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population, but subject to the maximum limit of fifty percent of total seats and such seats shall be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed:

Provided that under sub-section (1), if the total reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes is fifty percent or more than fifty percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs):

Provided further that if no nomination paper is filed for election, as a Councilor from any ward so reserved, by any member of the Other Backward Classes then the Collector shall be competent to declare it, as unreserved."

5. In Section 11-A of the Principal Act,-

(i) For sub-section (2), the following sub-section shall

be substituted, namely:-

"(2) In case, less than fifty percent of the total number of office of Mayors of Municipal Corporations of the state are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes, then as possible nearly as remained seats shall be reserved for Other Backward Classes, proportionate to their population but subject to the maximum limit of fifty percent of the total seats:

Provided that if the total reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes under sub-section (1) is fifty percent or more than fifty

Amendment of Section 11-A.

percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs)."

(ii) Sub-section (4-a) shall be omitted.

Amendment of Section 12.

6.

In Section 12 of the Principal Act,-

- (i) clause (a) shall be omitted.
- (ii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-
 - "(e) If the State Election Commission or authority appointed by it, on an application or on its own motion, is satisfied after such inquiry as it thinks fit that any voter whose name is registered in the current assembly electoral roll relatable to the ward of the Corporation, has been erroneously not included, shall be incorporated in the

electoral roll of concerned ward of Corporation."

7. In sub-section (1) and (2) of Section 14 of the Principal Act, after the word "Councilors", the words "and Mayors" shall be inserted, respectively.

Amendment of Section 14.

8. In sub-section (1) of Section 14-A of the Principal Act, for the word "Councilor", the word "Mayor" shall be substituted.

Amendment of Section 14-A.

9. In Section 14-B of the Principal Act, for the word "Councilor", the word "Mayor" shall be substituted. Amendment of Section 14-B.

10. In clause (b) of Section 14-C of the Principal Act, after the word "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted.

Amendment of Section 14-C.

11. In Section 15 of the Principal Act,-

Amendment of Section 15.

- (i) after the word "Councilors", the words "or Mayor" shall be inserted;
 - (ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilors or an Election of the Mayor, as the case may be."

Amendment of Section 16.

12. In Section 16 of the Principal Act,—

- (i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) For the election of Mayor, if he is not less than 25 years of age; and"
- (ii) After sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:-
 - "(4) If a person is elected for the office of Mayor and Councilor both, he shall have to resign from one of the office within seven days from the date on which he is declared elected."

Amendment of Section 17.

13.

In Section 17 of the Principal Act,-

- (i) in the heading, after the words "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;
- (ii) in sub-section (1), after the word "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;
- (iii) in clause (bb) of sub-section (1), after the word "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;
- (iv) for clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

- "(e) is less than twenty-five years of age, in the case of a Mayor and is less than twenty-one years of age, in case of Councilor."
- (v) in sub-section (2), in marginal heading and body, after the words "Councilor", wherever they occur, the words "or Mayor" shall be inserted.
- (vi) in sub-section (3), after the words "Councilor" wherever they occur the words "or Mayor" shall be inserted.
- 14. In Section 17-B of the Principal Act,—
 - (i) In sub-section (1), before the words "Every Councilor", the words "Every Mayor and" shall be inserted:
 - (ii) In sub-section (1), before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted;
 - (iii) In sub-section (2), before the word "Councilor", wherever they occur, the words "Mayor or" shall be inserted.
- **15.** In Section 18 of the Principal Act,—
 - (i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted;

Amendment of Section 17-B.

Amendment of Section 18.

- (ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) The Mayor and the elected Councilors of the Corporation shall within fifteen days from the date of notification of the the election under Section 22 in the prescribed manner, elect a Speaker from the elected Councilor."
- (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(3) The Meeting under subsection (1) shall be called and presided over by the Collector."
 - (iv) in sub-section (4), before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted.

Amendment of Section 20.

16. In Section 20 of the Principal Act,-

- (i) in the Explanation of subsection (1), before the word "Speaker", the words "the Mayor and" shall be omitted.
- (ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely:-
 - "(5) If before the expiry of the period mentioned in sub-

section (1), the Municipal Corporation is not reconstituted. it. shall stand dissolved on the expiry or the said period and the provisions of Section 423 shall apply thereto for a period not exceeding six months within which the Municipal Corporation shall be reconstituted in with accordance the provisions of this Act."

- 17. In Section 23-A of the Principal Act,-
 - (i) in the heading, the words "Mayor or" shall be omitted:
 - (ii) in sub-section (1), before the word "Speaker", the words "Mayor or" wherever they occurs shall be omitted:
 - (iii) in clause (ii) of sub-section (2), after the word "Mayor", the punctuation and word ",Speaker" shall be omitted.
- 18. After Section 23-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:-
 - "24. Recalling of Mayor.- (1) Every Mayor of a Corporation shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is

Amendment of Section 23-A.

Amendment of Section 24. recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the corporation area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Councilor and presented to the Divisional Commissioner:

Provided further that no such process shall be initiated:

- (i) within a period of two years from the date on which such Mayor is elected and enters his office;
- (ii) if half of the period of tenure of the Mayor elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Mayor shall be initiated once in his whole term.

- (2) The Divisional Commissioner after satisfying himself and verifying that the three-fourth of the Councilors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.
- (3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed."
- 19. In clause (b) of sub-section (1) of Section 422 of the Principal Act, before the word "Speaker", wherever they occurs the words "Mayor and" shall be omitted.
- 20. For sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 441 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - "(iii) in the case of election of Mayor, by any voter of the Municipal area."

Amendment of Section 422.

Amendment of Section 441. Repeal. 21. The Chhattisgarh Municipal
Corporation (Amendment)
Ordinance, 2024 (No. 2 of 2024) and
the Chhattisgarh Municipal
Corporation (Amendment)
Ordinance, 2024 (No. 5 of 2024) is

hereby, repealed.